मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

(मंत्रालय)

क्रमांक जी–25/11/95/सी/चार भोपाल, दिनांक 13 फरवरी, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश.

विषय :––महिला सरकारी कर्मचारियों को गर्भस्राव/गर्भपात प्रसूती छुट्टी के नियम में संशोधन.

भारत सरकार की तरह राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी को अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान गर्भस्राव/गर्भपात के कारण मिलने वाली प्रसूति छुट्टी को 45 दिन तक सीमित किया जाय. यह निर्णय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1977 के नियम 38 (1) के तहत प्रसूती छुट्टी से संबंधित प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से लिया गया है.

2. इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी, 1995 की प्रति संलग्न है. यह संशोधन दिनांक 8 फरवरी, 1995 से लागू होगा.

3. अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी को लंबे समय तक आराम करने की जरूरत पड़ती है तो वह अन्य देय और स्वीकार्य छुट्टी ले सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार,

पृ. क्र. जी–25/11/94/सी/चार भोपाल, दिनांक 13 फरवरी, 1995

प्रतिलिपि :––

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, भोपाल.
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय मध्यप्रदेश भोपाल.
4. सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. अवर सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. अवर सचिव (अधीक्षण) म. प्र. मंत्रालय भोपाल, लेखाधिकारी मध्यप्रदेश, मंत्रालय, समस्त वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी, कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
8. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
9. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./–
(वरूण वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.